**International Journal of Humanities and Social Science Research**
**www.socialsciencejournal.in**
**ISSN: 2455-2070**
**Received: 10-12-2021, Accepted: 26-12-2021, Published: 10-01-2022**
**Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 16-20**

# भारत में महिलाओं के प्रति अपराध

**माया जाखड[1], विरेन्द्र कुमार तांडी[2]**
[1] सहायक आचार्य, इतिहास, श्रीमती माडी बाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय नागौर, राजस्थान, भारत
[2] अध्यापक, अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरनाल, नागौर, राजस्थान, भारत

**सारांश**
भारतीय समाज सदियों से पुरूष प्रधान होने के कारण महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आम तौर पर महिलाओं के प्रति होने वाले इन अत्याचारों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, तेजाब हमले, अपहरण, हत्या इत्यादि प्रमुख है। राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। महिला हिंसा के पीछे मुख्य कारणों में पुरूष प्रधान समाज, कमजोर कानून, अशिक्षा, नशाखोरी, सामाजिक कुप्रथाएँ एवं सोशल मीडिया द्वारा नारी की खराब छवि प्रस्तुत करना इत्यादि है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के समाधान के लिए कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, न्यायपालिका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठनों, समाज के जागरूक नागरिकों, स्वयं महिलाओं सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

**मूल शब्दः** महिलाओं के प्रति अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े, बलात्कार, घरेलू हिंसा, अपहरण, दहेज हत्या, साइबर क्राइम, कारण, रोकथाम के उपाय

## प्रस्तावना

है बड़ा कठिन नारी जीवन का चित्रण
मुश्किलों का सागर है जीवन का हर एक चरण
नारी का आंकलन रंग, रूप, आचरण से सदा किया जाता रहा है
उसकी आजादी पर पाबंदी का ताला सदा लगाया जाता रहा है।

भारत में महिलाओं के प्रति अपराध की समस्या कोई नई नहीं है। युगों–युगों से भारतीय समाज में महिलाएं शोषित, अपमानित और पतित रही है। ऋग्वेदिक काल इसमें एक अपवाद कहा जा सकता है जिसमें महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। उसके बाद उत्तरोत्तर स्थिति बिगड़ती गई। हालांकि अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे समाज में महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए कानूनों, स्त्री शिक्षा के प्रचार–प्रसार और महिलाओं की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के फलस्वरूप नारी की स्थिति में कुछ सुखदायी बदलाव देखने को मिले परन्तु इन सबके बावजूद आज भी असंख्य महिलाएँ हिंसा की शिकार है और उनके प्रति हिंसा के नये–नये रूप उभरकर सामने आ रहे हैं।

## हिंसा व अपराध अर्थ व परिभाषा

महिला संबंधित अपराधों को परिभाषित करने से पूर्व हिंसा और अपराध की परिभाषा पर सामान्य दृष्टिपात करना अपरिहार्य है।

सामान्य शब्दों में "स्वयं, किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरूद्ध उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जान–बूझकर किये गए शक्ति के प्रयोग" को हिंसा कहा जाता है। दूसरी ओर "जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता हो" ऐसे कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंसा और अपराध दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्षतः संबंधित है। ऐसे कोई भी क्रिया कलाप जिनसे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय की भावनाएं और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में अवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध की श्रेणी में आते हैं।

## महिला विरूद्ध हिंसा की परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार, "जैंडर आधारित हिंसा की कोई भी ऐसी कार्रवाई अथवा उसकी धमकी, जोर–जबरदस्ती या मनमाने ढंग से आजादी का हनन, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में, जिसका परिणाम औरतों के लिए शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक हानि अथवा उत्पीड़न होता है या होने की संभावना है।"[1]

संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि महिला विरूद्ध हिंसा को केवल परिवार और समाज के बीच होने वाली हिंसा की शारीरिक, यौनिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्रवाईयों तक सीमित न समझकर इसमें जीवनसाथी की पिटाई, बालिकाओं का यौन उत्पीड़न, दहेज से जुड़ी हिंसा, वैवाहिक बलात्कार तथा महिलाओं को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य जैसे उनके यौनांगों को काटना, काम की जगह पर तथा स्कूलों में यौन उत्पीड़न और डराना–धमकाना, औरतों की खरीद फरोख्त, जबरदस्ती देह व्यापार तथा युद्ध के दौरान औरतों का बलात्कार जैसी घटनाएं भी सम्मिलित है। नंदिता गांधी एवं नंदिता सहाय के अनुसार, "महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत् बलात्कार, दहेज हत्याएँ, पत्नी को यातनायें देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण समाहित किया जा सकता है।"[2]

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया है – "अपने या अन्य व्यक्ति या समूह और समुदाय के खिलाफ सोच समझकर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल या उसकी धमकी, जिसका परिणाम या संभावना चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि, विकास में रूकावट या वंचित होना

हो।"[3] विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपर्युक्त परिभाषा में आत्महत्या तथा स्वयं को हानि पहुँचाने की अन्य कार्रवाईयों सहित सभी प्रकार के शारीरिक, यौन तथा मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न समाहित है।

**महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का वर्गीकरण**

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा / अपराधों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –

**तालिका 1**

| आपराधिक हिंसा | घरेलू हिंसा | सामाजिक हिंसा | साइबर क्राइम |
|---|---|---|---|
| बलात्कार, अपहरण, हत्या, तेजाब हमला | मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, पुत्रवधु को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना | पत्नी / पुत्रवधु को कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, वेश्यावृत्ति, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना। | ट्रोलिंग, गाली गलौच, धमकी देना, घूरना, बदनाम करना, पीछा करना, बदला लेना, अश्लील बातें करना, मानहानी |

**महिलाओं के विरूद्ध अपराध 2020 (NCRB रिपोर्ट)**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 2020 के दौरान भारत में घटित विभिन्न आपराधिक वारदातों का विस्तृत ब्यौरा है, के मुताबिक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कुछ कमी आई।

**तालिका 2:** महिलाओं के विरूद्ध 2018–20 (NCRB रिपोर्ट)[4]

| वर्ष | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| महिलाओं के विरूद्ध अपराध के दर्ज कुल मामले। | 378236 | 405326 | 371503 |
| प्रथम तीन राज्य | 1. उत्तर प्रदेश (59445 मामले)<br>2. महाराष्ट्र (35497 मामले)<br>3. प. बंगाल (30394)मामले | 1. उत्तर प्रदेश (59853 मामले)<br>2. राजस्थान (41550 मामले)<br>3. महाराष्ट्र (37144 मामले) | 1. उत्तर प्रदेश (49385 मामले)<br>2. प. बंगाल (36439 मामले)<br>3. राजस्थान (34535 मामले) |
| राजस्थान का राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थान व कुल दर्ज मामले | पाँचवा (27866 मामले) | दूसरा (41550 मामले) | तीसरा (34535 मामले) |

कोरोना काल के कारण साल 2020 में चूँकि लोगों का ज्यादातर वक्त घरों में बीता और लॉकडाउन और पाबंदियाँ रही ऐसे समय में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ कमी (8.3 प्रतिशत) आयी, वहीं छब्त्ठ 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

TV9 Hindi की 16 सितम्बर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ये संख्या (NCRB रिपोर्ट 2020 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी) वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती क्योंकि NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) को पिछले साल की तुलना में ज्यादा शिकायतें मिली। इसका कारण यह हो सकता है कि महिलाएँ शायद लॉकडाउन के चलते थाने नहीं जा पा रही थी और पुलिस की मदद नहीं ले पा रही थी।[5]

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में समिति ने नोट किया कि अभूतपूर्व COVID-19 महामारी के प्रकोप के दौरान घरेलू हिंसा और महिलाओं की तस्करी में अचानक तेजी आई। यह मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान, घर से काम करने और लॉकडाउन के दौरान घर पर अधिक समय बिताने के कारण था।

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की सूचना अनुसार वर्ष 2021 के प्रारंभिक आठ महिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**महिलाओं के प्रति अपराध के विविध रूप आँकड़ों में बलात्कार**

दरिंदगी की खबरों से
अखबार के पन्ने– पन्ने भरे हुए,
बिकती अस्मत आज यहाँ
नर नहीं नर पिशाच घूम रहे।[6]

NCRB की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2020 में बलात्कार के रोज औसतन 77 मामले दर्ज किए गए और कुल 28046 मामले सामने आए। देश में ऐसे सबसे ज्यादा मामले राजस्थान (5310) में आए तो दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश (2769) रहा। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के साथ हत्या और सामूहिक बलात्कार के 219 केस दर्ज किए गए।

इतना ही नहीं, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देशभर में 3741 केस रेप की कोशिश के दर्ज किए गए। इनमें से 295 मामलों में पीड़िताओं की उम्र 18 साल से कम थी।

हैरानी वाली बात ये है कि दुष्कर्म के 95 प्रतिशत मामलों में करीबी ही आरोपी निकला, साल 2020 में 28046 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 26808 केस ऐसे थे जिनमें पीड़िताओं ने करीबियों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया था। राजस्थान में 5310 मामलों में से 5046 मामलों में करीबी ही आरोपी निकला था।[7]

- **घरेलू हिंसाः** देशभर में साल 2020 में घरेलू हिंसा के 111549 मामले दर्ज किए गए, जिनमें प. बंगाल में सबसे ज्यादा 19962 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 14454 मामले और राजस्थान में 13765 मामले है।

नए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में पाया गया कि 11 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेशों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामले में कभी भी मदद नहीं मांगी। इस आंकड़े में वो महिलाएं भी है जिनके द्वारा अनुभव की गई हिंसा के बारे में किसी को नहीं बताया। NFHS के आँकड़ों के मुताबिक ऐसी महिलाओं का अनुपात चार राज्यों (असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम) और एक केन्द्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर) में 80 प्रतिशत से ज्यादा था। महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली वैवाहिक हिंसा में कई जगह कटने के निशान, चोट, दर्द, आँखों की चोट, टूटी हुई हड्डियाँ, गंभीर जलन, टूटे दाँत, मोच और अन्य दिक्कतें शामिल है।[8]

- **भगा ले जाना और अपहरणः** एक नाबालिग (18 वर्ष से कम लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को अपहरण कहते हैं। भगा ले जाने का अर्थ है

एक महिला को इस उद्देश्य से जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखेबाजी से ले जाना कि उसे बहकाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किया जाये या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये। अपहरण में उत्पीड़क की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भगा ले जाने में उत्पीड़क की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करवा देती है।[9]

NCRB रिपोर्ट 2020 के अनुसार साल 2020 में महिलाओं को भगा ले जाने और अपहरण के कुल 62300 केस दर्ज किए गए। इनमें 78 मामले अपहरण और भगा ले जाने के उपरांत हत्या के थे। और 24745 मामले अपहरण और भगा ले जाने के उपरांत विवाह हेतु बाध्य करने के थे।[10]

- **दहेज से संबंधित हत्याएँ:** यद्यपि दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है परन्तु वास्तव में कानून केवल यही स्वीकार करता है कि समस्या विद्यमान है। वास्तविक रूप से यह कभी सुनने में नहीं आता कि किसी पति या उसके परिवार पर दहेज लेने के आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो। यदि कुछ हुआ है तो यह कि गत वर्षों में दहेज की मांग और उसके साथ–साथ दहेज को लेकर हत्याएं बढ़ी है।

NCRB आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2020 में दहेज की वजह से मौत के 6966 मामले दर्ज किए गए।[11]

- **तेजाब हमले (Acid Attack):** देश में एसिड अटैक की अमानवीय घटनाएं लगातार बढ़ रही है। किसी को मौत के घाट उतार देने से उसकी पूरी जिंदगी खत्म की जा सकती है, उसका हाथ पांव काट देने से उसको अपंग किया जा सकता है लेकिन अगर किसी पर तेजाब डाल दिया जाए तो वह इंसान ना मर पाता है ना ही जी पाता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं इंसान की आत्मा ही जल उठती है। भारत में हर महीने आपको कई ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती है जो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से संबंधित होती है। यह कहानियां भारतीय–समाज में महिलाओं की उस दर्दनाक कहानी को बयां करती है जिस सूरत में महिलाओं के लिए अपने वजूद को बचा पाना नामुमकिन होता है।[12]

एसिड की बिक्री के कड़े नियम है लेकिन सख्ती से पालना न होने से लुके छिपे बिक्री हो रही है। NCRB के डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में एसिड अटैक के 105 मामले दर्ज हुए तथा 33 मामले एसिड अटैक के प्रयास के दर्ज किए गए।[13]

- **साइबर क्राइम:** महिलाओं के प्रति साइबर अपराध के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे है।
  ऐसे अपराधों में साइबर वर्ल्ड में पीछा करना, बार–बार टेक्स्ट मैसेज भेजना, मिस्ड कॉल करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट पर नजर रखना, अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देना, फ्रेंडशिप में तनाव आने के बाद ब्लैकमेलिंग और इंटरनेट पर मॉनिटरिंग करना आदि शामिल है।
  आईपीसी की धारा 354 डी के तहत यह दंडनीय अपराध है। हालांकि आम तौर पर ऐसे मामलों को सामने लाने से महिलाएं हिचकती है। जिसके कारण साइबर क्राइम करने वालों का हौसला बढ़ जाता है। लोकसभा में धर्मवीर सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में वर्ष 2017 से 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के 36463 मामले दर्ज किए गए।[14]

भारत में NCRB की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के 2334 मामले दर्ज किए गए।

### महिलाओं के प्रति अपराध के प्रमुख कारण

- **पुरूष की प्रधानता:** भारतीय समाज में वर्तमान में भी काफी हद तक पुरूषों का आधिपत्य है। पुरूष प्रधान समाज का मानना है कि स्त्रियां केवल मनोरंजन के लिए होती है और महिलाओं का शोषण व उनके साथ हिंसा करना पुरूषों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज भी भारतीय पुरूष मानसिकता महिला को भोग्या से अधिक मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हम दुनियाभर में महिलाओं की आजादी के समर्थक बने फिरते हैं पर जब घरों में समानता का व्यवहार किए जाने का समय आता है तो सारी बंदिशें घर की महिलाओं और लड़कियों पर ही लगा दी जाती है। देश के सामाजिक परिवेश में पुरूष की प्रधानता के दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही आए दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार की खबरों से अखबार के पन्ने भरे दिखते हैं।
- **सामाजिक कुप्रथाएं:** भारतीय समाज में प्रचलित अनेकानेक ऐसी प्रथाएं है जिनसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को प्रोत्साहन मिलता है।
  इन कुप्रथाओं में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक आदि सम्मिलित है। अतः सामाजिक कुप्रथाएं भी महिला हिंसा का एक प्रमुख कारण बनकर उभरती है।
- **शिक्षा का अभाव:** महिलाओं में शिक्षा का अभाव होने के कारण भी महिला हिंसा को बढ़ावा मिलता है। आज भी भारत में दूरदराज और ग्रामीण परिवेश में अधिकांश महिलाएं शिक्षा से वंचित है।
  ऐसी महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सह लेती है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों का उचित ज्ञान नहीं होता है। यदि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उन पर हो रहे अत्याचारों का सामना करने व अत्याचारों का विरोध करने संबंधी ज्ञान दिया जाए तो वे अपने प्रति हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने हेतु पर्याप्त सक्षम हो सकेंगी।
- **समाज में नारी की छवि प्रस्तुति:** वर्तमान में अधिकांश संचार माध्यमों जैसे – फिल्मों में, विज्ञापनों दैनिक कार्यक्रमों में महिलाओं की समाज में अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं की जाती है जिससे समाज में रहने वाली सभी महिलाओं को अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसी नजरिए से देखते हैं और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जैसा संचार माध्यमों में दिखाया जाता है अर्थात् महिलाओं की बुरी छवि प्रस्तुति भी महिला हिंसा का एक बड़ा कारण है।
- **नशा:** महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आते हैं जब कि अपराधियों ने अपराध उस समय किया जब उन्होंने अत्यधिक नशा (मुख्यतः शराब) कर रखा हो। अतः नशा प्रवृत्ति भी महिला के प्रति अत्याचारों का एक मुख्य कारण है।
- महिलाओं के अधिकारों को व्यापक रूप से संबोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति और मौजूदा विधियों की अज्ञानता भी महिला हिंसा का कारण है।
- सामाजिक रवैया (कलंक का डर) भी महिला हिंसा के मामलों को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारण है।

**महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय**

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय विषय पर भारत सरकार के मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को ए.के. श्री वास्तव (संयुक्त सचिव, 2004) द्वारा लिखे पत्र के अनुसार...

- महिला विद्यार्थियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों/कॉलेजों में व्यतिक्रम पर नजर रखने के लिए अपराध संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए और एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। पुलिस अवसंरचना से पूरी तरह सज्जित पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती ऐसे क्षेत्रों में की जानी चाहिए।
- महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए।
- प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तों को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा किया जा सके।
- मामलों की पूरी जाँच–पड़ताल की जानी चाहिए और जाँच–पड़ताल की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बगैर घटना घटित होने की तारीख से तीन माह के अंदर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए।
- बलात्कार के पीड़ितों की अविलम्ब चिकित्सा जाँच की जानी चाहिए।
- महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों के हेल्प–लाइन नंबरों को बड़े–बड़े अंकों में अस्पतालों/कॉलेजों के परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठ और पृथक रूप से महिला पुलिस स्टेशन, आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाने चाहिए।
- जिन पुलिस पदाधिकारियों को महिलाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें पर्याप्त रूप से सुग्राही बनाया जाना चाहिए।
- महिलाओं के प्रति अत्याचार से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस कार्मिकों को विशेष कानूनों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसे सुचारू बनाया जा सके।
- राज्य पुलिस बल में व्यापक रूप से महिला पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।
- महिलाओं के हित संबंधी कार्य करने वाली पुलिस और एनजीओ के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्थानीय पुलिस को प्रभावित क्षेत्र और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के स्थानीय क्षेत्रों में गश्त लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। डीएम और एसपी के आवधिक दौरों से इन वर्गों के लोगों में रक्षा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी।
- अपराध के सदमे से उभरने के लिए पीड़ितों के साथ–साथ उनके परिवार को पेशेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श दिए जाने की जरूरत है।
- जो महिलाएं पीड़ित है उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए विकसित योजनाओं की कारगरता में सुधार किए जाने की जरूरत है।[15]

**अन्य उपाय**

- समाज के शिक्षित वर्ग को बलात्कार व गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं का समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए।
- सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, गैर सरकारी संगठनों को पीड़ित महिलाओं की सेवा व त्वरित न्याय दिलाने हेतु आगे आना चाहिए।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संस्थागत, राष्ट्रीय और वैश्विक जानकारी के साथ एकीकृत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- महिला जज और वकीलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए जिससे पीड़ित महिलायें दूसरी महिलाओं के समक्ष उपस्थित होने में यह आशा करके अधिक प्रसन्न होकर खुलकर अपनी बात रख सकती है कि उनमें स्त्रियों की समस्याओं की अधिक समझ होगी।
- हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के 90 प्रतिशत मामलों में अन्य कोई नहीं, वरन् परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ौसी आदि ही शामिल होते हैं। इसी वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। अतः यदि किसी महिला के साथ कोई घटना घटित हो तो परिवार को उसका साथ देना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी तकलीफ उनसे साझा कर सके।

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है जब देश के किसी कोने से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की खबर न आई हो और अत्याचार और दरिंदगी भी ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए।

अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र (Never Ending Cycle) के रूप में परिभाषित किया।

सामाजिक कार्यकर्ता शीतल वर्मा का कहना है, "घर के भीतर से लेकर घर के बाहर तक महिलाओं को आज भी तरह–तरह के अपराधों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कानून अब हमारे साथ पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा मजबूती से खड़ा है, फिर भी ज्यादातर मामलों में महिलाएं व परिवार के लोग चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि घटना हो जाने के बाद मोमबत्तियाँ जलाकर प्रदर्शन व विरोध करने के बजाय सामाजिक स्तर पर महिलाओं के प्रति आम विचारधारा में बदलाव लाने की कोशिश की जाए, ताकि समस्या का जड़ से समाधान हो सके।"[16] नारे, कर्फ्यू, धरना, दंगे–फसाद आदि से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके बजाय ऐसे प्रयास किए जाए कि अपराध को होने से पहले ही रोक जा सके उदाहरणतः सुरक्षित यातायात, गली–मोहल्ले व सड़कों पर पर्याप्त रोशनी, कोर्ट में मामलों का शीघ्र निर्णय, लोगों में नैतिक–कर्तव्य का बोध तथा पीड़िता के साथ संवेदनशील रूप से व्यवहार, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, नियमों की जानकारी प्रदान करना जैसी छोटी–छोटी कोशिशें भी हमारे समाज में बदलाव लाने में चिंगारी का काम करेंगी।

आज मनुज जग से मिट जाए कुत्सित, लिंग विभाजित
नारी नर की निखिल क्षुद्रता, आदिम मानों पर स्थित।
सामूहिक–जन–भाव–स्वास्थ्य से जीवन हो मर्यादित,
नर नारी की हृदय मुक्ति से मानवता हो संस्कृत।[17]

**संदर्भ सूची**


1. संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1995
2. प्रो. एम. एल. गुप्ता एवं डी.डी. शर्मा, समाजशास्त्र पृष्ठ सं. 802, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2002
4. NCRB रिपोर्ट 2018–2020
5. TV9 Hindi की 16 सितम्बर 2021 की रिपोर्ट
6. अमर उजाला काव्य
7. aajtak.in, 16 सितम्बर 2021

8. TV9 Hindi, 29 नवम्बर 2021
9. सामाजिक समस्याएँ, डॉ. राम आहूजा, पेज 230
10. NCRB रिपोर्ट 2020
11. NCRB रिपोर्ट 2020
12. www.jagran.com
13. NCRB रिपोर्ट 2020
14. पंजाब केसरी 28 जुलाई 2021
15. फाइल सं. 15011/21/2004–एससी/एसटी सैल, भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004 को लिखित पत्र
16. हिंदुस्तान फीचर टीम नई दिल्ली 26 मई 2017
17. नारी, सुमित्रानंदन पंत